तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/1/26	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू0राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम डाहरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा में प्रार्थी की खातेदारी में खसरा नं0 364/1 की 2.09 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है। इसी प्रकार ग्राम डाहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में प्रतिपक्षी नं0 1 की खातेदारी में खसरा नं0 364 की 2.40 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि ख0नं0 364 की 4.49 है0 भूमि के खातेदार गजेन्द्र सिंह जी थे। जिन्होने पूर्व में ख0नं0 364 रकबा 2.40 है0 दक्षिण दिशा की भूमि का बेचान प्रतिपक्षी नं0 1 को किया गया। तथा खसरा नं0 364 की शेष 2.09 है0 उत्तरी दिशा की भूमि का बैचान प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 6.06.2013 से किया गया तथा मोके पर खातेदार ने उत्तरी दिशा की 2.09 है0 भूमि पर क़ब्जा सम्भलाया था। तब से ही प्रार्थी खरीद शुदा उत्तरी से दिशा की 2.09 है0 पर प्रार्थी तथा दक्षिण दिशा की 2.40 है0 भूमि पर प्रतिपक्षी नं0 1 काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिपक्षी नं0 2 ने प्रार्थी के नाम इंतकाल तस्दीक किया जिसके आधार पर प्रतिपक्षी नं0 2 के कर्मचारियों ने प्रार्थी की खरीद शुदा भूमि का नये खसरा नं0 364/1 की 2.09 है0 भूमि प्रार्थी के नाम खाते दर्ज की गयी। किन्तु राजस्व रिकार्ड के नक्शे ट्रेस में प्रार्थी के खाते की उत्तरी दिशा की भूमि को दक्षिण दिशा में अंकित कर दिया है तथा प्रतिपक्षी नं0 1 की दक्षिणी दिशा की भूमि को उत्तरी दिशा में दिखा रही है जो गलत है। क्योंकि प्रार्थी उत्तरी दिशा की भूमि पर काबिज है इस कारण नक्शा ट्रेस में ख0नं0 364 के स्थान पर 364/1 तथा ख0नं0 364/1 के स्थान पर 364 अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम डाहरा तहसील लाडपुरा की ख0नं0 364/1 को नक्शा ट्रेस में दक्षिण दिशा के स्थान पर उत्तरी दिशा में अंकित करने तथा ख0नं0 364 को उत्तरी दिशा के स्थान पर दक्षिण दिशा में अंकित कर नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किये जाने की आज्ञा पारित की जावे। भूमि के रकबे व सीमा का कोई विवाद नहीं है। अन्य सहायता हो वह भी प्रार्थी को प्रदान की जावे। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि तरमीम कार्य करते समय सहवन से ख0नं0 364 रकबा 2.40 है0 की तरमीम दक्षिण दिशा के स्थान पर उत्तरी दिशा में तथा ख0नं0 364/1 रकबा 2.09 है0 की तरमीम उत्तरी दिशा के स्थान पर दक्षिण दिशा में हो गयी है। बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथा नामान्तरण प्रतिलिपी, नजरी नक्शा, विक्रय पत्र एवं अन्य संलग्न दस्तावेज पत्र की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी नक्शा ट्रेस में ख0नं0 364 के स्थान पर 364/1 तथा ख0नं0 364/1 के स्थान पर 364 अंकित किया जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को ग्राम डाहरा पटवार हल्का मोरपा जिला कोटा में स्थित भूमि खसरा संख्या 364 दक्षिण रकबा 2.40 है0 एवं खसरा नं0 364/1 उत्तरी रकबा 2.09 है0 के राजस्व रिकार्ड में तहसील रिपोर्ट में संलग्न नक्शा नजरी के अनुसार तरमीम शुद्धिकरण करने के आदेश दिए जाते है। नजरी	
उपखण्ड अधिकारी कोटा		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 19/1/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा	